



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2273]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 16, 2016/भाद्र 25, 1938

No. 2273]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 16, 2016/BHADRA 25, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2016

आय-कर

का.आ. 2979(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115पक की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (बाईसवाँ संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2016 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में परिशिष्ट 2 में, -

(i) प्ररूप 64क में, मदे 8 से 15 के स्थान पर निम्नलिखित मदे रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“8. सभी स्रोतों से कारबार न्यास की सकल आय

(9+11+13+15)

9. धारा 10 (23चग) में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय
10. 9 से 8 का समानुपात
11. धारा 10 (23चगक) में निर्दिष्ट भाड़े या पट्टे या किराए पर देने के रूप में आय
12. 11 से 8 का समानुपात
13. धारा 115-ण में निर्दिष्ट लाभांश के रूप में आय
14. 13 से 8 का समानुपात
15. 9, 11 और 13 में निर्दिष्ट से अन्यथा आय
16. 15 से 8 का समानुपात
17. धारा 115पक की उपधारा में निर्दिष्ट यूनिटधारक होते हुए व्यक्तियों, जिनको आय वितरित की जाती है, के द निम्नलिखित प्रपत्र में ब्यौरे :-

क्रम सं.	नाम	पता	पैन	कुल वितरित रकम	धारा 10 (23चग) में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय की रकम [स्तंभ 5X क्रम संख्या 10]	धारा 10 (23चगक) में निर्दिष्ट भाड़े या पट्टे या किराए के रूप में आय की रकम [स्तंभ 5X क्रम संख्या 12]	धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांश के रूप में आय की रकम [स्तंभ 5X क्रम संख्या 14]	अन्य आय की रकम [स्तंभ 5X क्रम संख्या 16]
1	2	3	4	5	6	7	8	9";

(ii) प्ररूप 64ख में, मद 7 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

“7. पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान यूनिटधारक को कारबार न्यास द्वारा वितरित आय के निम्नलिखित प्रपत्र में ब्यौरे ”

क्रम सं.	वितरित आय	वितरण की तारीख	धारा 10 (23चग) में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय की रकम	धारा 10 (23चगक) में निर्दिष्ट भाड़े या पट्टे या किराए के रूप में आय की रकम	धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांश के रूप में आय की रकम	अन्य आय की रकम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

[अधिसूचना सं. 84 /2016/फा. सं. 142/10/2014-टीपीएल]

नीरज कुमार, अवर सचिव (कर नीति और विधान)

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. का.आ. 2747 (अ) तारीख 19 अगस्त, 2016 द्वारा संशोधित किए गए।